

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक:एफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/5461

दिनांक: 04-08-2026

जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर), (पंचायत) जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर,
डीडवाना-कुचामन, पाली, नागौर, जालोर, हनुमानगढ़,
झुंझुनू, सीकर, चूरू, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, सलूम्बर,
अजमेर, टोंक, बीकानेर, ब्यावर, झालावाड़, बूंदी, चित्तौड़गढ़
प्रतापगढ़, राजसमंद, एवं डुंगरपुर।

विषय :- पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनावों में ईवीएम मशीन तैयार (Commissioning) करने एवं आरक्षित मशीनों को तैयार करने संबंधी निर्देश।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला स्तर पर आवंटित की गई ईवीएम की प्रथम स्तरीय जाँच के पश्चात् जिला स्तर पर प्रशिक्षण हेतु ईवीएम मशीनों को उपलब्ध करवाने के पश्चात् शेष ईवीएम मशीनों को रेण्डमाईजेशन के जरिये निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्रों एवं पंचायत समिति स्तर पर आरक्षित मशीनों के रूप में काम लिया जायेगा।

ECIL द्वारा निर्मित MPSV एवं MPMV मशीनों को तैयार (Commissioning) करने के दौरान केण्डीडेट सैट करते समय वार्ड संख्या ('Enter ward no.') एवं मतदान केन्द्र संख्या ('Enter Booth no.') की प्रविष्टि करनी होती है। अतः चुनाव हेतु मशीनों एवं आरक्षित मशीनों को तैयार किये जाने की प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

A. MPSV एवं MPMV मॉडल की मशीनों को चुनाव हेतु तैयार (Commissioning) करने के लिए :-

1. MPSV एवं MPMV मॉडल की मशीनों को तैयार करने के दौरान केण्डीडेट सैट करते समय 'Enter ward no.' में चार अंकों के लिए निर्धारित स्थान में प्रथम दो अंक जिला परिषद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र संख्या के तथा अगले दो अंक पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन क्षेत्र संख्या के इन्द्राज किए जाए।
उदाहरण:- यदि जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 11 है तथा पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन क्षेत्र संख्या 51 है तो वार्ड नं. 1151 अंकित किया जायेगा।
2. इसी प्रकार Enter Booth no. में पंचायत समिति के अन्तर्गत प्रत्येक बूथ का क्रमांक इन्द्राज किया जाये।
उदाहरण:- यदि बूथ का क्रमांक 189 है तो Booth no. 189 अंकित किया जायेगा।
3. यह भी सुनिश्चित करें कि नयी बैटरी लगाने के बाद सीयू में डिस्प्ले पैनल पर प्रदर्शित बैटरी HIGH मोड (MPSV), 95 प्रतिशत (M3A, MK-5) से अधिक हो, अन्यथा बैटरी परिवर्तित(Change) करावें।
4. ज्ञात रहे कि इन मशीनों में एक कंट्रोल यूनिट के साथ जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के चुनाव हेतु पृथक से बीयू काम में ली जायेगी। जिला परिषद सदस्य के लिए बीयू-1 को कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जायेगा एवं पंचायत समिति सदस्य के लिए बीयू-2 को बीयू-1 से जोड़ कर कैंडिडेट सैट किये जायेंगे।

B. MPSV एवं MPMV मॉडल की आरक्षित मशीनों को तैयार (Commissioning) करने के लिए :-

पंचायत समिति स्तर पर आरक्षित मशीन किस जिला परिषद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र संख्या एवं पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन क्षेत्र संख्या के किस मतदान केन्द्र पर काम आयेगी, यह किसी को ज्ञात नहीं होता। उदाहरण के लिए एक जिले में 10 पंचायत समिति हैं एवं एक पंचायत समिति में 30 ईवीएम

मशीनें आरक्षित रखी गई हैं तो ऐसी आरक्षित मशीनों को तैयार करने के दौरान निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाए :-

1. कैंडीडेट सैट करते समय 'Enter ward no.' में चार अंको के निर्धारित स्थान पर जिले की प्रथम पंचायत समिति के लिए 0001, दूसरी पंचायत समिति के लिए 0002, तीसरी पंचायत समिति के लिए 0003, इस प्रकार दसवीं पंचायत समिति के लिए 0010 इन्द्राज की जायेगी।
2. इसी प्रकार पंचायत समिति के लिए आरक्षित मशीनों के लिए Enter Booth no. में पहली मशीन के लिये 001, दूसरी मशीन के लिये 002, तीसरी मशीन के लिये 003, इसी प्रकार 30वीं आरक्षित मशीन के लिये 030, क्रमशः इन्द्राज किया जायेगा। इस प्रकार किस मतदान केन्द्र पर कौनसी आरक्षित मशीन उपयोग में ली गई है, का ब्यौरा रखा जा सके।

नोट:- प्रथम फेज के लिए आरक्षित की गई मशीनों में से जो मशीन उपयोग में नहीं ली गई है, उन मशीनों का रेण्डमाईजेशन एवं Commissioning कर दूसरे एवं आगे के फेजों में उपयोग किया जा सकता है।

भवदीय,

(राजेश वर्मा)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

दिनांक : 04.08.2026

क्रमांक:एफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/5462-67

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अति. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलक्टर)।
6. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ईमेल करने, आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

(नीरज शर्मा)

सहायक सचिव